रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2012/आश्विन 9, 1934
No. 217] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2012/ASVINA 9, 1934

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2012

विषय : देश में अवर स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति संरचना ।

फा. सं. 21-6/2012-टीएस. 1.—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तहत कार्य योजना (पीओए) 1992 में देश में व्यावसायिक तथा तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक समान प्रवेश परीक्षा संचालित करने पर विचार किया गया है। वर्तमान में ऐसे कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कई परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अनेक परीक्षाओं से छात्रों और उनके अभिभावकों पर अत्यधिक मानसिक और वित्तीय बोझ पड़ता है। इसके अतिरिक्त, इससे कोचिंग केन्द्र अत्यधिक मात्रा में पैदा हो गए हैं और छात्र नियमित कक्षा शिक्षण छोड़ देते हैं जिससे स्कूल शिक्षा प्रणाली का आधार कमजोर पड़ रहा है। एक समान पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया के अभाव से कई संस्थाओं द्वारा अनुचित प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के विस्तार के कारण निजी विश्वविद्यालय तथा समविश्वविद्यालय घोषित किए जाने वाली संस्थाएं अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती रही हैं। रश्मि समिति, जिसने इस मामले का अध्ययन किया है, ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव किया है कि इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश के लिए कक्षा XII की परीक्षाओं में निष्पादन जिसे परसेंटाइल सूत्र के आधार पर सामान्यीकृत किया गया हो, को अधिमानता देते हुए एक समान राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित की जाए।

2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर आईआईटी तथा एनआईटी की परिषद तथा अन्य केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है। समान राष्ट्रीय परीक्षा के प्रस्ताव का राज्यों द्वारा हाल ही में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के दो सम्मेलनों में इस सुझाव के साथ समर्थन किया गया है कि राज्य यदि ठीक समझें तो राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश की समान पद्धति अपना सकते हैं। समविश्वविद्यालय संस्थाओं ने भी आमतौर पर इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। परामर्शों के दौरान सभी पणधारियों के बीच एक दृढ़ मत यह था कि परीक्षाओं की बहुलता कम करने के अतिरिक्त कक्षा XII की बोर्ड परीक्षा में छात्रों के निष्पादन को पर्याप्त अधिमानत: देते हुए बड़े जनहित में स्कूलिंग प्रणाली के महत्व में संशोधन किया जाए और इसी समय उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश की विश्वसनीयता तथा सत्यनिष्ठा को बनाए रखा जाए।

3. पैरा 2 में उल्लिखित विचार-विमर्शों का संज्ञान लेते हुए इंजीनियरिंग में अवर स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए वर्ष 2013 से आरंभ करते हुए दो भागों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा अर्थात संयुक्त प्रवेश परीक्षा-मुख्य तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा-प्रोन्नत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा-मुख्य में प्रदर्शन के आधार पर केवल सर्वोत्कृष्ट 150,000 अभ्यर्थी (सभी श्रेणियों सहित) संयुक्त प्रवेश परीक्षा-प्रोन्नत परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश इस शर्त के साथ संयुक्त प्रवेश परीक्षा-प्रोन्नत में श्रेणी-वार अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) पर आधारित होगा कि ऐसे अभ्यर्थी उनके संबंधित बोर्ड द्वारा लागू श्रेणियों में संचालित कक्षा XII की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सर्वोत्तम 20 परसेंटाइल में आते हों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश कक्षा XII की बोर्ड परीक्षा के परसेंटाइल आधार पर सामान्यीकृत अंकों, जिन्हें अलग से अधिसूचित किया जाएगा, के निष्पादन के लिए 40 प्रतिशत अधिमानता के आधार पर तथा बाकी 60 प्रतिशत अधिमानता संयुक्त प्रवेश परीक्षा-मुख्य में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा तथा एक समेकित अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) निकाला जाएगा। यह नीति केन्द्र द्वारा वित्तपोषित अन्य तकनीकी संस्थाओं और भागीदार संस्थाओं द्वारा भी अपनाई जा सकती है। यदि कोई राज्य, राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों में उपर्युक्त के आधार पर छात्रों के प्रवेश का चयन करता है तथा राज्य द्वारा अनुरोध व्यक्त करने पर संयुक्त मुख्य प्रवेश परीक्षा राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित की जाएगी। यदि राज्यों को राज्य द्वारा अपनाए गए प्रासंगिक अधिमानों के आधार पर अलग-अलग योग्यता सूची चाहिए तो योग्यता सूची उन अधिकारों के साथ तैयार की जाएगी जो राज्यों द्वारा उल्लेख किए जाएंगे।

4. संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2013 सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा उच्चतम बोर्ड (जेएबी) का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, राज्य सरकारों, सम विश्वविद्यालयों की संस्थाओं के सदस्यों के साथ-साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक-एक सदस्य शामिल होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परिषद के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा उच्चतम बोर्ड की सहायता संयुक्त प्रवेश परीक्षा इन्टफेस ग्रुप करेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा उच्चतम बोर्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रोन्नत ग्रुप और इसके अध्यक्ष के साथ भी समन्वय स्थापित करेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रोन्नत के आयोजन के लिए समन्वय संस्था का गठन उसी प्रकार के किया जाएगा जिस प्रकार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के वर्तमान संयुक्त प्रवेश बोर्ड का किया जाता है।

5. पूरे देश में संयुक्त प्रवेश परीक्षा- मुख्य परीक्षा आयोजित करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) प्रशासनीक और संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करेगा। जेईई एपैक्स बोर्ड का स्थायी सचिवालय केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड में स्थित होगा, जो यदि आवश्यक होगा तो इसके लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र/सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता प्रदान करेंगे जिसके आवेदनपत्र के फार्म ऑनलाइन प्रस्तुत करने सहित परीक्षा से पूर्व एवं बाद के संबंधित कार्यकलाप शामिल होंगे।

6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा-मुख्य और संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रोन्नत के लिए अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा (एआईईईई)-2012 और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही पारदर्शिता प्रक्रियाविधि को अपनाया जाएगा। जो छात्र वर्ष 2012 में कक्षा-XII की बोर्ड परीक्षाओं में बैठे थे और अपने निष्पादन को सुधारने के इच्छुक हैं वे वर्ष 2013 में पुन: बोर्ड परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य बोर्ड विशेष निपटान के माध्यम से इस कार्य को सुसाध्य बनाने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं करेंगे।

अमिता शर्मा, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st October, 2012

Subject : Policy framework for admissions to engineering programmes at the undergraduate level in the Country.

F. No. 21-6/2012-TS. I.—Programme of Action (PoA) 1992 under the National Policy on Education (NPE) 1986 envisage conduct of a Common Entrance Examination on an All India basis for admissions to professional and

technical programmes in the Country. Presently, a number of tests are conducted for admissions to such programmes. Multiplicity of tests causes immense mental and financial burden on students and their parents. Apart from this it has led to mushrooming of coaching centres and students shunning regular classroom teaching thereby weakening the very foundation of school education system. Lack of unified transparent admission process has resulted in unfair practices being followed by several institutions. Apart from the Indian Institutes of Technology (IITs) & National Institutes of Technology (NITs), with the expansion of the university system, private universities and institutions deemed to be universities have been holding their own entrance examinations. The Ramasami Committee, which went into the issue, has proposed, *inter-alia,* a common national examination with weightage to performance in class XII examinations normalized on the basis of percentile formula for admission to engineering institutions.

2. The aforesaid proposal has been discussed in detail in the Council of IITs and NITs and heads of other centrally funded technical institutions. The proposal for a common national examination has been endorsed 'in principle' by the States in the two Conferences of the State Education Ministers held recently, with the suggestion that the States may adopt the same pattern of admission to the engineering institutions affiliated to State Universities if they deem fit. Institutions Deemed to be Universities have also generally welcomed the proposal. During the consultations there was a strong view amongst all the stakeholders that the importance of the schooling system has to be revived in the larger public interest by giving due weightage to the performance of students in the Class XII Board examinations besides reducing the multiplicity of examination and at the same time maintaining the credibility and integrity of admissions to higher educational institutions.

3. Taking note of the discussion referred to in paragraph 2, it has been decided to hold a Joint Entrance Examination (JEE) beginning from the year 2013 for admission to the undergraduate programmes in engineering

in two parts i.e. Joint Entrance Examination-MAIN and Joint Entrance Examination-ADVANCED. Only the top 150,000 candidates (including all categories) based on the performance in Joint Entrance Examination-MAIN will qualify to appear in the Joint Entrance Examination-Advanced examination. Admissions to Indian Institutes of Technology will be based only on category-wise All India Rank (AIR) in Joint Entrance Examination-ADVANCED, subject to condition that such candidates are in the top 20 percentile of successful candidates in class XII examination conducted by their respective Boards in applicable categories. Admission to National Institutes of Technology will be based on 40% weightage for performance in class XII Board marks normalized on percentile basis to be notified separately and the remainder 60% weightage would be given for performance in Joint Entrance Examination-Main and a combined All India Rank (AIR) would worked out. The policy could also be adopted by other Centrally Funded Technical Institutions and participating Institutions. In case any State opts to admit students in the engineering colleges affiliated to State Universities based on the above, the Joint Entrance Examination-MAIN will be conducted in the regional language of the State as well on the express request of the State. Where States require separate merit list based on the relative weightages adopted by the State, then the merit list shall be prepared with such weightages as may be indicated by the States.

4. For smooth conduct of Joint Entrance Examination 2013, a JEE Apex Board (JAB) would be constituted, comprising of members drawn from Indian Institutes of Technology, National Institutes of Technology, Indian Institutes of Information Technology, State Governments, Institutions Deemed to be Universities, besides one each from Central Board of Secondary Education, National Informatics Centre, Centre for Development of Advanced Computing and Ministry of Human Resource Development. JEE Apex Board would be assisted by the Joint Entrance Examination Interface Group for coordinating with Council of Boards of Secondary Education. JEE Apex Board would also coordinate with Joint Entrance Examination-Advanced Group and its Chairman. For conduct of Joint Entrance Examination-ADVANCED, the coordination body will have the same composition as that of the present Joint Admission Board of the IIT system.

3743 GI/12-2

5. Central Board of Secondary Education (CBSE) will provide the administrative and logistic support for the conduct of Joint Entrance Examination-MAIN examination across the country. The permanent Secretariat of JEE Apex Board would be located in Central Board of Secondary Education which may create suitable positions, if necessary. The National Informatics Centre / Centre for Development of Advanced Computing will assist in providing IT support and back end activities for pre-and-post examination work, including on-line submission of application forms.

6. The transparency processes being followed presently by All India Engineering Entrance Examination (AIEEE)-2012 and IIT system shall be adopted for the Joint Entrance Examination-MAIN and Joint Entrance Examination-ADVANCED. Those students who have appeared in the Class XII Board examinations in 2012 and wish to improve upon their performance can appear again for the Board examinations in 2013. Central Board of Secondary Education and State Boards would make appropriate arrangements to facilitate this through a special dispensation.

AMITA SHARMA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.